न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 263/2012

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

1. लाबुराम पुत्र उदा 1/4
2. रावतराम पुत्र उदा
3. सुखाराम पुत्र उदा
4. मोटाराम पुत्र उदा
5. चुनकी बेवा उदा
6. बगदाराम पुत्र मांगिया 1/8
7. भीकाराम पुत्र मांगिया
8. चुन्नीदेवी पत्नी मांगिया
9. नारायणलाल पुत्र जोगाराम 1/8
10. बाबुलाल पुत्र जोगाराम
11. लादूराम पुत्र जोगाराम
12. रुघाराम पुत्र जोगाराम
13. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
14. ओगाराम पुत्र जोगाराम
15. कालुराम पुत्र जोगाराम 17/47
जातियान-सिरवी
16. नारायणलाल पुत्र अमराराम 20/47
जाति-सिरवी सा० आकेली बेरा
हनुमान सागर तह०-रायपुर
17. घनश्याम पुत्र सतुराम
कौम-खटिक 10/47 सा०-जैतारण
18. ओगड़ पुत्र जोगा
19. जिमवाई पुत्री जोगा
20. सायरी पुत्री जोगा 139/340
21. ओगड़राम पुत्र जोगा 70/340
कौम सिरवी सा० देह
22. रावतराम पुत्र उदाराम 25/340
23. खीयाराम पुत्र रूपाराम 34/340
24. ताराराम पुत्र रूपाराम
25. पनाराम पुत्र रूपाराम
कौम-सिरवी सा० देह
26. गिश्रीलाल पुत्र हरिराम 17/18
कौम-सुथार सा०-निम्बेड़ा कलां
तह.-रायपुर 25/340,
27. पुष्पा जोजे मगाराम 1/18
कौम-सीरवी सा जैतारण 1/4
28. रुपा पुत्र बिरदा 1/4
कौम-सिरवी सा० देह खातेदार।

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 29.11.2012

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 01/06/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत् बेदखली पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में ख.नं. 20 रकबा 73-04 बीघा किस्म चा0प्र0 लगान 116 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में से रकबा 149 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-भाकरवास, तहसील-जैतारण के ख.नं. 20 रकबा 73-04 बीघा किस्म चा0प्र0 लगान 116 रुपये आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21.11.2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 को दिनांक 19/12/2013 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश करने में विफल रहने से जवाबदावा बन्द किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सांगावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आज राजस्व लोक अदालत में भू0अ0निरीक्षक से उक्त प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट ली गई। भू0अ0निरीक्षक-निमाज ने फर्द मौका रिपोर्ट पेश की कि खातेदार मोटाराम, ओगड़राम के रुबरु रेकर्ड व मौके की स्थिति का मौका देखा, जिसके अनुसार जमाबन्दी 2071-2074 ग्राम-भाकरवास के खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 20 रकबा 73-04 बीघा लाबूराम वगैरह की खातेदारी भूमि हैं, जो सहखातेदारों में आपसी में विवादित हो रखी हैं। मौके के अनुसार खसरा नम्बर 20 के दक्षिणी पश्चिमी कोने यानि पश्चिमी दिशा में चल रहे आम रास्ते के पूर्व दिशा की ओर एक टॉवर खड़ा हैं। जो उक्त टॉवर मौके पर किए गए भाई बंटवाड़ा के अनुसार खातेदार मोटाराम पुत्र उदाराम कौम-सिरवी सा0-भाकरवास के हिस्से में आई हुई हैं। मोटाराम ने स्वीकार किया कि मेरी सहमति से ही टावर लगाया गया था। प्रतिवादी ने सरहद मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में ख.नं. 20 रकबा 149 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में ख. नं. 20 रकबा 149 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र सांगावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
   जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. लाबुराम पुत्र उदा 1/4
2. रावतराम पुत्र उदा
3. सुखाराम पुत्र उदा
4. मोटाराम पुत्र उदा
5. चुनकी बेवा उदा
6. बगदाराम पुत्र मांगिया 1/8
7. भीकाराम पुत्र मांगिया
8. चुन्नीदेवी पत्नी मांगिया
9. नारायणलाल पुत्र जोगाराम 1/8
10. बाबुलाल पुत्र जोगाराम
11. लादूराम पुत्र जोगाराम
12. रुघाराम पुत्र जोगाराम
13. मांगीलाल पुत्र जोगाराम
14. ओगाराम पुत्र जोगाराम
15. कालुराम पुत्र जोगाराम 17/47
    जातियान-सिरवी
16. नारायणलाल पुत्र अमराराम 20/47
    जाति-सिरवी सा0 आकेली बेरा
    हनुमान सागर तह0-रायपुर
17. घनश्याम पुत्र सतुराम
    कौम-खटिक 10/47 सा0-जैतारण
18. ओगड़ पुत्र जोगा
19. जिमनाई पुत्री जोगा
20. सायरी पुत्री जोगा 139/340
21. ओगड़राम पुत्र जोगा 70/340
    कौम सिरवी सा0 देह
22. रावतराम पुत्र उदाराम 25/340
23. खीयाराम पुत्र रूपाराम 34/340
24. ताराराम पुत्र रूपाराम
25. पनाराम पुत्र रूपाराम
    कौम-सिरवी सा0 देह
26. मिश्रीलाल पुत्र हरिराम 17/18
    कौम-सुथार सा0-निम्बेड़ा कलां
    तह.-रायपुर 25/340,
27. पुष्पा जोजे मगाराम 1/18
    कौम-सीरवी सा जैतारण 1/4
28. रुपा पुत्र बिरदा 1/4
    कौम-सिरवी सा0 देह खातेदार।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 263/2012

<u>राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत</u>
<u>धारा 177 राजस्थान काश्तकारी</u>
<u>अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-....... व हाजरी श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह की सादिर की जाती है कि सरहद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय मौजा-भाकरवास, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में ख.नं. 20 रकबा 149

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner